कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, बालोद (छ0ग0)

//आदेश//

क्र0/5014/एस.डब्ल्यू./2020 बालोद दिनांक 06/08/2020

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड – 19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आम जनता की सुरक्षा की दृष्टिकोण से कार्यालयीन आदेश क्र. 4792/एस.डब्ल्यू./2020 बालोद दिनांक 20/07/2020 एवं समसंख्यक क्र. 4985 दिनांक 28/07/2020 एवं 4898 दिनांक 24/07/2020 के द्वारा जिले के नगरीय क्षेत्रों, नगर पालिका बालोद/दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत गुरूर/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा/अर्जुन्दा तथा ग्राम पंचायत झलमला, सिवनी एवं कोलिहामार में 06 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ जारी किया गया था। वर्तमान में जिले में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं एवं वर्तमान में भी कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रक्रम में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है –

1 जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत झलमला, सिवनी तथा कोलिहामार में दिनांक 07/08/2020 से प्रातः 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खुले रहेंगे। उक्त अवधि में सामाजिक दूरी एवं आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ व्यवसाय किये जा सकेंगे।

2 शाम 06:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक प्रतिबंध प्रभावशील रहेगा और इस अवधि में न तो कोई व्यवसाय संचालित होंगे और न ही अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल सकेगा।

3 दुग्ध संयंत्र/डेयरी/दुध गंगा में पशु पालकों से दुग्ध संग्रहण का कार्य रात्रि 08:00 बजे तक किया जा सकेगा। पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर और गैस एजेन्सी पूर्ववत खुले रहेंगे।

4 सभी शासकीय/अर्ध्दशासकीय कार्यालय, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान अपने निर्धारित कार्यालयीन समय अनुसार खुले रहेंगे। उक्त सभी स्थानों में सामाजिक दूरी एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। आम जनता को आवश्यक होने पर ही शासकीय कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति होगी।

5 बिजली, पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति परिवहन सेवाएं, प्रिट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, से संबंधित सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगे।

6 अनवरत् उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट, फर्नेस, बॉयलय आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक एवं खान (माईन्स) अनवरत् संचालित होंगे। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन तथा समय–समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

7 सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे और इन स्थलों में एक समय में 04 से अधिक दर्शनार्थी पूजा कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाएं ।

8 सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसे, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई–रिक्शा, रिक्शा संचालित किये जा सकेंगे।

9 हॉटल, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन केवल टेकअवे की सुविधा होगी। होटल/रेस्टोरेंट में बैठकर खान–पान नहीं किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

10 साप्ताहिक हाट–बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लगाए जा सकेंगे।

11 जिम केन्द्र सरकार की एसओपी का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।

12 सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंगपुल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम पूर्ववत बंद रहेंगे।

13 कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

छ0ग0 शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13/03/02020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।

महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13/03/02020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

6/8/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ0ग0)

पृष्ठ क्र0/5014/एस.डब्ल्यू./2020 बालोद दिनांक 06/08/2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
9. पुलिस अधीक्षक जिला–बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
14. तहसीलदार सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned by CamScanner

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्–बालोद/दल्लीराजहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नगर पंचायत गुरूर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
19. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
20. कार्यालयीन प्रति।

6/8/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ0ग0)

Scanned by CamScanner